"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 6 जुलाई 2023—आषाढ़ 15, शक 1945

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–60/खाद्य/2022/29–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् : –

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (च) का लोप किया जाये।

2. नियम 15 के उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।"

3. अनुसूची – चार के नियम 2 के उप–खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(दो) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये, जहां नियुक्ति निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पद पर पदोन्नति द्वारा किया जाना हो वहां न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें भौतिक शास्त्र, एक विषय के रूप में रहा हो) में स्नातक।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम पदुम एल्मा, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 26th June 2023

NOTIFICATION

No. F. 1-60/Food/2022/29-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology Class-III (Non-Ministrial) Service recruitment Rule, 2013, namel : -

AMENDMENT

In the said rules,

1. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.
2. For sub-rule (1) of Rule 15, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

   "(1) Every person recruited derectly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years."
3. For sub-rule (ii) of rule 2 of Schedule –IV, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

   "(ii) For departmental candidates, where the appointment is to be made by promotion to the post of Inspector, Legal Metrology, the minimum educational qualification should be graduation in science from a recognized University with one of the subject as Physics."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM PADUM ELMA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.